

6/22

पत्रावली पेश हुई। कठिन पक्षकारान अनुपास्केट।  
शुद्धि डा.पत्र से संबंधित काद को खारिज किया  
जा चुका है। पेशी स्केट में न्यायालय पत्रावली  
को आगे जैकार बखला उचित नहीं समझता  
है। कदा शर्कना पत्र को खारिज किया जाता है।  
पत्रावली कैमल सुमार दौतर नम्बर से कम की  
जावे। निर्णय आज दिनांक 6-4-2022 को  
सुनाया गया।



उप सण्ड अधिकारी  
मंगरीन विभा बरी (राज०)